



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरणडा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो०ब०-१६/२०२०-४२३

दिनांक : ०८.०६.२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “सिल्विकल्चरल ऑपरेशन” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु रु० 123.763 (एक करोड़ तेइस लाख छिह्न्तर हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-३३/२०२०-१६/स्वी० व०प० दिनांक 03.11.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो०ब०जट-३३/२०२०-०५ / आ० व०प० दिनांक 27.05.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु० 123.763 (एक करोड़ तेइस लाख छिह्न्तर हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|----------------------|----------------|
| मजदूरी | 19S24060178940010103 | 106.572 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S24060178940010323 | 17.191 |
| कुल :- | | 123.763 |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं संसमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2 पर, तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060178940010103 एवं 19S24060178940010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल—मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हेक्टेएर लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

5. वन संरक्षन कार्य के दौरान खँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

7. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमण्डलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए गये हैं, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमण्डल के वनों का Density wise वर्णकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

12. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

13. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग / कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनातार्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमङ्गलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

14. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

15. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का कार्यान्वयन नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक रथाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका— VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

16. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

17. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डु जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(iv) कंडिका-17 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

19. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

21. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का ट्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III)

की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक—2341 दिनांक—04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय—समय पर निर्गत योजना—सह—वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

24. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

25. (i) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होने लेखा समर्पण में विलंब किया जसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(ii) बड़े अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iii) Master Roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(iv) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(v) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(vi) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(vii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(viii) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


अपर प्रधान ~~मुख्य~~ कम सरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



ज्ञापांक— 01 / यो०ब०—16 / 2020—

दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/गिरिडीह/हजारीबाग/चतरा/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो०ब०—16 / 2020—

दिनांक—


प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/गिरिडीह/हजारीबाग/चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठले वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 311.33 प्रति मानव दिवस)

| क्र० सं० | वन प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हेठले) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|-----------|--|----------------------|----------------|---------------------|---------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| | | | 7067.19 | 1140.00 | 8207.19 |
| (क) | बोकारो रीजन | | | | |
| 1 | धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद | 250 | 17.668 | 2.850 | 20.518 |
| 2 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह | 150 | 10.601 | 1.710 | 12.311 |
| 3 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह | 300 | 21.201 | 3.420 | 24.621 |
| योग:- | | 700 | 49.470 | 7.980 | 57.450 |
| (ख) | हजारीबाग रीजन | | | | |
| 4 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग | 250 | 17.668 | 2.850 | 20.518 |
| 5 | चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा | 300 | 21.201 | 3.420 | 24.621 |
| 6 | चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा | 258 | 18.233 | 2.941 | 21.174 |
| योग:- | | 808 | 57.102 | 9.211 | 66.313 |
| कुल योग:- | | 1508 | 106.572 | 17.191 | 123.763 |


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झाखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिलिकल्वरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 311.33 कार्य दर प्रति हेठो

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु0 में) | सामग्री (रु0 में) | कुल व्यय (रु0 में) | अभियुक्ति |
|---|--|------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| (A) वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 311.33 | | | | | | | |
| 1 | Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत) | 220 | 2 | 622.66 | 640.00 | 1262.66 | स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी |
| 2 | वृक्षारोपण | | 4.40 | 1369.85 | 0.00 | 1369.85 | |
| 3 | दो कोडनी निकौनी | हेठो | 5 | 1556.65 | 0.00 | 1556.65 | |
| 4 | सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद) | हेठो | 0 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 5 | सिंगलिंग कार्य | | 4 | 1245.32 | 0.00 | 1245.32 | |
| 6 | पौधों की सुरक्षा (25 हेठो तक के लिए पशुरक्षक) | | 7.30 | 2272.71 | 0.00 | 2272.71 | ट्रेन्च घेरान की मरम्मति |
| | योग— | | 22.70 | 7067.19 | 1140.00 | 8207.19 | |



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-16/2020/423

दिनांक - 08-Jun-2021

| क्रमांक | विपर कोड | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|----------|--|---|
| 1 | S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - मिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते | 25517 | DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी | 1,766,800.00 रुपये स त्र ह लाख छाँठ हजार आठ सौ |
| 2 | S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - मिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते | 25518 | GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी | 1,060,100.00 रुपये दस लाख साढ़े हजार एक सौ |
| 3 | S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - मिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते | 25519 | GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी | 2,120,100.00 रुपये इक्कीस लाख बीस हजार एक सौ |
| | | | | State Scheme : NA Central Scheme : NA |

योग: रुपये उनव्यास लाख सैतालीस हजार
क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

4,947,000.00

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|--------------|
| 4 | S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्वीकल्चरल आँपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते | 25520 | HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी | 1,766,800.00 |
| | | | | |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 5 | S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्वीकल्चरल आँपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते | 25521 | CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी | 2,120,100.00 |
| | | | | |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 6 | S 19 24060178940010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्वीकल्चरल आँपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते | 25522 | CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी | 1,823,300.00 |
| | | | | |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |

योग:

रुपये एक करोड़ छ: लाख सत्तावन हजार दो सौ

5,710,200.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND

10,657,200.00

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|------------------|--|-----------|--|---|
| 7 | S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्वीकल्चरल आँपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय | 25523 | DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER | 285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार |
| | | | | |
| | | | | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री |
| | | | | |
| | | | | |
| State Scheme : | NA | | | |
| Central Scheme : | NA | | | |
| 8 | S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्वीकल्चरल आँपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय | 25524 | GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. | 171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार |
| | | | | |
| | | | | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री |
| | | | | |
| | | | | |
| State Scheme : | NA | | | |
| Central Scheme : | NA | | | |
| 9 | S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्वीकल्चरल आँपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय | 25525 | GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 342,000.00 रुपये तीन लाख बयालीस हजार |
| | | | | |
| | | | | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री |
| | | | | |
| | | | | |
| State Scheme : | NA | | | |
| Central Scheme : | NA | | | |

योग:

रुपये एक करोड़ छौदह लाख पचपन हजार दो सौ

798,000.00

क्रमिक योग:

11,455,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDI PCOE DEV JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|--|-----------|--|---|
| 10 | S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्डीकल्चर औपरेशन 01-मिल्डीकल्चरल आँपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय | 25526 | HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 11 | S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्डीकल्चर औपरेशन 01-मिल्डीकल्चरल आँपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय | 25527 | CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 294,100.00 रुपये दो लाख चौरानवे हजार एक सौ |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| 12 | S 19 24060178940010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - मिल्डीकल्चर औपरेशन 01-मिल्डीकल्चरल आँपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय | 25528 | CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 342,000.00 रुपये तीन लाख बयालीस हजार |
| | State Scheme : NA Central Scheme : NA | | | |
| योग: | रुपये एक करोड तेहस लाख छहत्तर हजार तीन सौ | | | 921,100.00 |
| क्रमिक योग: | | | | 12,376,300.00 |

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PWD. DEV. JHARKHAND